

305

413

मा. नि. ग. 0/रीवा/भू-०/2017/4407

न्यायालय श्रीमान् माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)



110

- 1- हीरालाल तनय सरयू प्रसाद ब्रा0, उम्र 79 वर्ष, निवासी ग्राम तमरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)
 - 2- राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी
 - 3- मंगल प्रसाद द्विवेदी
 - 4- राकेश प्रसाद द्विवेदी
 - 5- श्रीधर द्विवेदी
- } पिसरान हीरालाल द्विवेदी

सभी निवासी ग्राम तमरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

आवेदकगण/निगरानीकर्ता

विरुद्ध

शारदा प्रसाद द्विवेदी तनय रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी, उम्र 62 वर्ष,
निवासी ग्राम तमरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व
निरीक्षक मण्डल गोविन्दगढ़ दिनांक
30/05/2016 जो प्रकरण क्र0-51/
अ-12/15-16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0
भू-राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर
निगरानी प्रस्तुत है :-

यह कि प्रश्नाधीन सीमांकन आदेश राजस्व निरीक्षक मंडल
गोविन्दगढ़ विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने
योग्य है।

हीरालाल तनय सरयू प्रसाद ब्रा0

AM

22/05/2016
राजस्व मण्डल
गोविन्दगढ़
13-11-17

कारक आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II / निर्गो / रीवा / भू-रा0 / 2017 / 4407 जिला-रीवा

हीरालाल ब्रा0 / शारदा प्रसाद

(1)

(2)

(3)

24.04.19

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दानवेन्द्र मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल गोविन्दगढ़, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 51/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।

(बी.एम.शर्मा),
सदस्य